BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | October 2018 | No. 9

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति से मिले

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द से राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में मिले एवं उन्हें चैम्बर के स्थापना काल से अब तक की महत्वपूर्ण गतिविधियों का संकलन चैम्बर का कॉफी टेबल बुक समर्पित किया।

इस अवसर पर महामहिम ने श्री अग्रवाल से राज्य के औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में विचार-विमर्श किया एवं महामहिम राज्यपाल के कार्यकाल में चैम्बर आगमन के सुखद अनुभव को शेयर किया।

श्री अग्रवाल ने महामहिम से आगामी बिहार भ्रमण के क्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में पधारने का आग्रह किया।

चैम्बर की ओर से 15वें वित्त आयोग को ज्ञापन समर्पित

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग से मिलकर ज्ञापन समर्पित करने पहुँचा चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

दिनांक 3 अक्टूबर 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग से मिला एवं राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जिसकी प्रति इसी अंक में आगे मुद्रित है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग को बताया गया कि बिहार में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसलिए बिहार को विशेष दर्जे की भांति विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराया जाए जिससे कि अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके साथ हुई वार्त्ता के दौरान महामहिम जी ने चैम्बर की बैठकों और आयोजनों की संस्मरणों को ताजा किया। मैनें महामहिम महोदय से बिहार परिभ्रमण के वक्त बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के लिए समय देने का आग्रह किया।

इस माह 3 अक्टूबर 2018 को 15वें वित्त आयोग की टीम से चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में मिला। वित्त आयोग को चैम्बर द्वारा बताया गया कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसलिए बिहार को विशेष दर्जे की भांति विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराया जाये ताकि बिहार भी अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष आ सके। बिहार की स्थिति के आलोक में विशेष राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। चैम्बर की ओर से ज्ञापन भी वित्त आयोग को सौंपा गया है जो बुलेटीन के इसी अंक में सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की गयी है।

चैम्बर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति विश्वदृष्टि दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2018 को निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 138 लोगों के नेत्रों की जाँच की गयी एवं 22 लोगों को मोतियाविन्द के आपरेशन की आवश्यकता पाई गयी। कार्यक्रम का उद्घाटन संजय गाँधी जैविक उद्यान के निदेशक श्री अमित कुमार ने किया। शिविर में आँखों की जाँच श्री बालाजी नेत्रालय के निदेशक व सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ श्री शशि मोहनका एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया तथा दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया।

चैम्बर द्वारा पूर्व वित्त सचिव–सह–प्रधान सचिव वाणिज्य–कर विभाग श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जिनकी प्रतिनियुक्ति हाल ही में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अपर सचिव के पद पर हुई है, को दिनांक 13 अक्टूबर 2018 को चैम्बर में एक बैठक कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

पॉलीथीन (कैरी बैग) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके उपयोग पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अतः कैरी बैग की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करें और पर्यावरण की रक्षार्थ अपना सहयोग दें।

दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

आ सके। यह भी मांग की गई कि बिहार की स्थिति को देखते हुए विशेष क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए विशेष राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि मेमोरेंडम के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं पर वित्त आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया :- • Adequate Devolution of Taxes • Grant-in-aid under Article 275 of the Constitution of India •Making recommendations under 15th Finance Commission consi-dering the population data of 2011 Census • CD Ratio & Compensation Thereof • Special Grants to the State • राज्य में औद्योगिकरण की सफलता के लिए आधारभूत संरचना यथा – रेल, रोड एवं हवाई अड्डा के लिए विशेष आवंटन।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनिल सराफ एवं श्री आलोक पोद्दार सम्मिलित थे।

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE 15TH FINANCE COMMISSION BY BCCI ON 3RD OCTOBER 2018

The Bihar Chamber of Commerce & Industries is extremely grateful to the Chairman and Members of the 15th Finance Commission for having given us the opportunity to place Chamber's point of view before the Commission. Though we are the signatory of the joint representation with all political parties of Bihar, but we are submitting these suggestions for the kind consideration of the Commission exclusively to ensure proper growth of trade and industry in Bihar.

Bihar has an area of 94163 square kilometers which is 2.8% of the total area of the country and the present density of population is 1106 persons/Sq. Km which is much higher than the national coverage which is 382 persons/Sq.Km.

The State Domestic Products and per capita income is very low as compared to national average. With reference to different development index such as per capita Electricity, Education, Health, Road, Rail etc. State of Bihar is very low compared to developed states. The slow growth of SDP and per capita income is attributable to a large extent to low level per capita State Plan and inadequate Central assistance as well as inadequate flow of institutional finance. The people of Bihar require special support from Finance Commission to reach the level of national average in a time bound manner.

We, therefore, request the 15th Finance Commission to consider Bihar as a Economically and Industrially Backward State and frame Special Norms for the State so that it may be equated with the States having Special Status such as Himachal Pradesh and North Eastern States & Andhra Pradesh .

Since the planning Commission has been dismantled and Niti Ayog has come into existence it is expected that the 15th Finance Commission when deciding on devolution of funds should keep this factor in mind and explore devolution of funds to meet State specific sector, specific requirements and not on a formula as has been practiced till date.

Adequate Devolution of Taxes

There exists considerable disparity in per capita Income across the States of India. To promote equity and to reduce disparity among States, there is an imperative need to provide special assistance. Under the present financial dispensation, the GST subsumed altogether 17 Central and State taxes. Some of the taxes that would continue as before under the new GST regime are Stamp duty, Property tax, Registration fee, Motor Vehicle Tax, Electricity duty and VAT on a few Commodities like Alcohol & Petroleum. It is, therefore, urged that the Finance Commission should look into the aspect of vast regional diversity and iniquitous distribution of natural resources, while allocating the resources of the Nation in the form of various taxes. Prior to the constitution of the 15th Finance Commission there was a body called Planning Commission, which used to allocate funds to the State Government for Plan Expenditure which normally included Capital requirements. Since, the Planning Commission has been abolished; therefore, onus of funding for Capital requirement is also to be borne by the 15th Finance Commission.

Thus, the Finance Commission should ensure that only so much fund is retained with the Central Government as is necessary for the sector pertaining to its domain such as defence, internal security, infrastructure, railways commitments towards administration of union Territories and other committed expenditure and liabilities and the balance to be devolved among the States. Further, to reduce the regional disparity among states an appropriate horizontal distribution of resources be made, so that the State of Bihar could catch up with the developed States of India.

It has been observed that even the recommended amounts of the 14th Finance Commission have not been released to the State of Bihar and over the past few years Bihar has received substantially less amount as its share in Central Taxes.

It is requested that the Centre allocate funds based on the pattern of 11th Finance Commission recommendations. Under the 11th Finance Commission recommendations, Bihar was allocated around 12.589% of funds which was gradually reduced to 11.028%, 10.917% & 9.787% by the 12th , 13th & 14th Finance Commission respectively. During 12th & 13th Finance Commission when calculating share of the State from Central taxes 25% weightage was given based on the population of the State whereas the 14th Finance Commission reduced this weightage to 17.5%.

Grants-in-aid underArticle 275 of the Constitution of India:

The 15th Finance Commission must consider requirement of the State Government for infrastructure development. For this purpose, under article 275 of the Constitution of India, grants-in-aid for specific purposes must be awarded to the State to cope up with the infrastructure deficit.

The State of Bihar has lost as a consequence of its bifurcation almost all the mines and minerals and a major portion of forests. The bifurcation also resulted in 75% of the population remaining in Bihar with only 25% of public assets. This bifurcation has led the state of Bihar to absolute loss of base for economic growth.

It is, therefore, imperative upon the finance commission to issue grants-in-aid to Bihar enabling it to catch-up with the advanced states in terms of infrastructure and thereby attract investment in the state. **In case of grants-in-aid the centre has adopted step motherly attitude wherein even the recommended grant-in-aid has not been given.**

Making recommendations under 15th Finance Commission considering the population data of 2011 Census

As per para 8 of the notification order constituting 15th Finance Commission, Terms of reference and the Commission shall consider the population data of 2011 census.

CD Ratio & Compensation Thereof

Historically the state of Bihar was neglected under the colonial rule and unfortunately the freight Equalisation of minerals investment went to states which were already developed and flight of capital took place. Since nationalisation of Banks, the Commercial Banking Sector in the States has expanded manifold without bringing commensurate benefit to the State. The nationalisation of banks was expected to usher in an era in which commercial credit would be easily available to the backward regions. But the State has not been able to secure adequate benefit of investment in the State. This naturally, is a serious hindrance to industrial growth in the State. A low CD ratio, based on credit sanctions will amount to migration of deposits from this State to another developed States. Therefore, the Finance Commission should consider compensating Bihar enabling the State to improve the infrastructure.

Special Grants to the State

Due to freight Equalisation the capital base of the state was eroded and bifurcation of the state rendered Bihar bereft of all industries and minerals making the state of Bihar an agricultural state.

When the state was bifurcated the centre had agreed to provide special package for Bihar offsetting the losses incurred due to the bifurcation.

It is, therefore, suggested that the 15th Finance Commission provide special grant for the state of Bihar for overall development of infrastructure, civic amenities and industrial development particularly for New Airport, laying of Gas pipeline within State, Metro Rail System and for purchasing land to enable the State to create its own Land Bank for industrial purpose. Bihar has always swayed between severe drought and heavy flooding. Most of the arable land of this State is situated North of the River Ganges which also produces an array of basic food items-rice, wheat, corn; sugarcane etc. Bihar being a laggard Sate and the cause of flood primarily flow from the rivers originating in Nepal which can only be checked by the intervention of the Central Government, the amount given in aid in such situation suffers and the figures of such aid is indeed an eye- opener - Bihar-2,591 Cr; Maharashtra-8,095 Cr; MP-4,848 Cr. This is a clear case of discrimination and as the saying goes gives Bihar the Nelsons Eye.

If one looks at the devolutions from the Central Divisible Pool, the share of Bihar has over the last Five Years i.e. 14th Commission till now has reduced drastically from a high of 14.6% it is now down to 9.6%. This inspite of the fact that Bihar has consistently practiced and operated within the FRBMA rules. The grants-in-aid given to Bihar negates the efficiency of the Government of Bihar in controlling its expenses and meeting the guidelines of the FRBMA. It is therefore essential in light of the dissolution of the Planning Commission to strengthen co-operative federalism a system needs to be evolved by the 15th Finance Commission to ensure:-

(i) Identify sectors in the States that will be eligible for grants from the union;
For any successful industrialization in a State the most important factor is communication - Rail, Road and Air.

(A) Indian Railways has failed this State miserably.

(i) They have failed to provide wagons, full-fledged and well-equipped wagon sidings for both incoming and outgoing goods traffic.
(ii) The main line running from Jhajha to Mughalsarai (Deen Dayal Upadhayay) should be doubled immediately enabling faster movement of goods traffic in this Sector.

(B) Roads

The State of Bihar after bifurcation has two important sections - North & South with the river Ganges dividing the two parts. Prior to 2016 there were only three bridges spanning the river - one in Patna, second in Mokamah and the third in Bhagalpur. Of all the three bridges - the one in Patna started deteriorating long ago; the attention of the Central Government got drawn when it collapsed. The second bridge at Mokamah was closed for almost two years and even now it is not in full operation. The third in Bhagalpur has been closed to traffic for the past three weeks for repairs. It is therefore urged upon the 15th Finance Commission to allot special grants-in-aid so that all three bridges become operational.

(C) Airport

(i) There is only one airport in Patna since the British Raj and today the facilities provided in the air terminal has almost collapsed. The airport should be upgraded immediately and special grants-in-aid should be given to make the air-ports in Muzaffarpur, Darbhanga, Katihar etc. operational.
(ii) Indicate criteria for inter-state distribution;
(iii) Help design schemes with appropriate flexibility being given to States regarding implementation;
(iv) Identity and provide area specific grants.
(v) Indicate criteria for inter-state distribution;
(vi) Help design schemes with appropriate flexibility being given to States regarding implementation;
(vii) Identify and provide area specific grants.

Terms of Reference

Now, we want to draw the attention of the 15th Finance Commission towards to its Terms of Reference with specific reference to the base of census moving to 2011. "There has been lots of hue & cry over this issues which has been raised in this connection by different sets of persons and groups having their own self interest. We don't want to criticize such groups, this is the beauty of our democracy that everybody has a legitimate right to raise any grievance before the authority to set it right ".

Probably, the Commission after considering such grievances from some sections of people decided to form an Advisory Council to advise on the matters related to its Terms of Reference. Our humble request in this connection is that the decision of GST Council regarding payment of compensation for possible loss of revenue for 5 years should not be considered adversely by the 15th Finance Commission because it will lead to a disaster for State's revenue. [Refer to para 6(V) of the TOR]

Though the census of 2011 has been considered for devolution of benefits, one should note that weights have been given on population control also. While the figures of population growth in Bihar are above the gross national figures yet one should note that the percentage drop in growth rate of population in Bihar is the same as the National average. The fall in the all India population growth is 3.8% and that of Bihar is also matching at 3.8%.

To sum up, the Bihar Chamber of Commerce & Industries Patna would like to suggest that the 15th Finance Commission must consider the case of Bihar in such perspective that there should be a revival package for the State Finance Institution like BSFC, BICICO etc. for promoting small, medium and micro enterprises in the State thereby enabling the State to come in the category of developed State at the end of the award period of this Commission i.e. by 2025.

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार रक्तदाता सम्मान समारोह का किया उद्घाटन

समारोह का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में विधायक डॉ. संजीव चौरसिया, श्रीमती सुषमा साहू, प्रति कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय कुसुम कुमार, डॉ. वीणा पाण्डेय एवं अन्य।

नव्यकृति सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दिनांक 07 अक्टूबर 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में बिहार रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में रक्तदान, अंगदान, देहदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 31 संस्थाओं को सम्मानित किया गया।

समारोह का संयुक्त रूप से उद्घाटन डॉ० संजीव चौरसिया, विधायक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्रीमती सुषमा साहू, प्रति कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय कुसुम कुमार, चिकित्सक डा० वीणा पाण्डेय, शिक्षाविद् डॉ० एम. रहमान, अदम्या अदिती, मुकेश हिसारिया आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते। समाज के लिए कुछ ऐसा कर के जायें ताकि लोग मृत्युपरान्त भी उसे याद रखें। रक्तदान के क्षेत्र में बिहार में एक क्रांति का आगाज हुआ है और लाखों जरूरतमंद लोगों की जान बच रही है।

विश्व दृष्टि दिवस पर चैम्बर द्वारा नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, डॉ. शशि मोहनका, श्री ओम प्रकाश टिबरेवाल, श्री हनुमान सहाय गोयल, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं श्री विनोद कुमार अग्रवाल।

श्री अमित कुमार, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ डॉ. शशि मोहनका, चैम्बर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

डॉ. शशि मोहनका को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

ब्लड प्रेशर की जाँच कराते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

ब्लड सुगर की जाँच कराते श्री ओमप्रकाश टिबड़ेवाल, पूर्व उपाध्यक्ष।

नेत्र जाँच करते डॉ. शशि मोहनका। साथ में चैम्बर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

शिविर में नेत्र जाँच हेतु अपना पंजीकरण कराते लोग। साथ में निरीक्षण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चैम्बर प्रांगण में एक नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संजय गाँधी जैविक उद्यान के निदेशक श्री अमित कुमार ने किया। शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आँखों की जाँच प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ० शशि मोहनका द्वारा की गई एवं आँखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस संबंध में सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर एवं सुगर की भी जाँच की गई।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। चूंकि इस साल दूसरा गुरूवार 11 अक्टूबर को पडा इसलिए यह 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इसके आयोजन का उद्देश्य बचने योग्य अंधेपन और दृष्टि नुकसान के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूकरता का प्रसार करना है।

श्री अग्रवाल ने आगे बताया कि विश्व दृष्टि दिवस अंधेपन की रोकथाम के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। समय पर इलाज एवं सही उपचार से 80 प्रतिशत अंधापन को रोका जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से स्वस्थ्य नेत्र के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देने की भी अपील की : • आहार में अधिकाधिक मात्रा में हरी सब्जियों एवं पीले एवं लाल फलों का उपयोग करें • धुम्रपान न करें • कड़ी धूप में आँखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहनें • खतरनाक कार्यों के दौरान सुरक्षात्मक चश्में का उपयोग करें • नियमित व्यायाम करें क्योंकि नियमित व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ्य रखता है बल्कि आँखों को भी स्वस्थ्य बनाता है • आँखों की नियममित जाँच कराएं।

शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ० शशि मोहनका, निदेशक श्री बालाजी नेत्रालय एवं उनकी टीम द्वारा आँखों की जाँच की गई एवं आँखों को स्वस्थ्य रखने के बारे में विस्तृत जानकारी एवं सलाह दी गयी।

शिविर में करीब 138 से अधिक लोगों के आँखों की जाँच की गई

जिसमें लगभग 22 लोगों के आँखों के जाँचोपरान्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई है जिनका ऑपरेशन श्री बालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में किया जायेगा एवं ऑपरेशन से संबंधित सभी चीजें जैसे – दवा, चश्मा इत्यादि की व्यवस्था भी चैम्बर की ओर से किया जाएगा।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के अतिरिक्त वरीय सदस्य श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री राजीव अग्रवाल, श्री सांवल राम डूोलिया, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सच्चिदानन्द, श्री हनुमान सहाय गोयल, श्री मुनेश जैन ने शिविर के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई।

चैम्बर ने श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी को किया सम्मानित

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुषमा साहू, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन तथा दाँयीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 13 अक्टूबर 2018 को श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, पूर्व वित्त सचिव-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार जिनकी प्रतिनियुक्ति हाल ही में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अपर सचिव के पद पर हुई है, को राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से सम्मानित किया गया ।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी का स्वागत करते हुए कहा कि नई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा-कर से अवगत कराने हेतु जीएसटी लागू होने के पहले से ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा 50 से अधिक बैठकें, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं जीएसटी लागू होने के उपरान्त भी उसमें व्यवसायियों को आने वाली समस्याओं को लेकर समय-समय पर कई कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में सुजाता मैडम ने अपना पूर्णरूपेण सहयोग दिया है और अपनी व्यस्तता के बावजूद लगभग सभी कार्यक्रमों में स्वयं भाग भी लिया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब भी हमलोगों ने वैट या जीएसटी से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु इनसे मिलने का समय मांगा तो हमलोगों को समय मिला और हमारी बातों को सुनकर समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास भी किया है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने चैम्बर का प्रतीक चिह्न प्रदान कर श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी को सम्मनित किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में जीएसटी लागू कराने में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों, खास कर चैम्बर ने वाणिज्य-कर विभाग को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसका फायदा बिहार को अधिक होगा ।

इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के साथ-साथ पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं वरीय सदस्य श्री शशि मोहन, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री जी० पी० सिंह, श्री आलोक पोद्दार, श्री राम लाल खेतान, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री सावल राम डूोलिया, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सच्चिदानन्द, महिला आयोग की सदस्या श्रीमती सुषमा साहू सहित काफी संख्या में सदस्य उपस्थित हुए।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

विश्व खाद्य दिवस की पूर्व संध्या पर चैम्बर एवं सामुदायिक, खाद्य एवं पोषाहार विस्तार इकाई, पटना द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाओं को कुपोषण से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने किया

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन (दाँयीं ओर से तीसरे)। उनकी बाँयीं ओर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षिकाएँ तथा दाँयीं ओर चैम्बर के अधिकारीगण।

कार्यक्रम में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षु महिलाएँ।

पोषक आहार बनाने की जानकारी देते श्री श्याम सुन्दर सिन्हा। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

एवं बताया कि हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या से निदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व खाद्य दिवस 2018 का थीम है – Our actions are our future "A zero hunger world by 2030 is possible".

कार्यक्रम में सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा ने महिलाओं को रोजमर्रे के घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों से ही कैसे पोषक आहार बनाया जाए, इस संबंध में विस्तारपूर्वक बताया।

इस अवसर पर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के द्वारा पोषक आहार बनाने हेतु क्वीज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें करीब 125 महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार माही कुमारी, द्वितीय पुरस्कार सुश्री कायनात परवीन, तृतीय पुरस्कार सुश्री सारा नाज एवं सांत्वना पुरस्कार सुश्री रिंकी कुमारी एवं सुश्री शीतल रानी को दिया गया।

INDUSTRY EQUALITY PUSH FROM STATE

The 15th Finance Commission team liked the suggestion by trade and industry representatives of Bihar to institute an "industrially backward region grant fund" (IBRGF) for states such as Bihar and has asked for a concept note on it.

Buoyed, the industries department has started preparing the note.

''The special category status may take its own time, but it is within the purview of the commission to advise about setting up such a fund," said Bihar Chamber of Commerce and Industries President P. K. Agrawal, who had made the suggestion to the Finance Commission team headed by N. K. Singh during a meeting at the state secretariat.

Agrawal added that under the fund, backward regions could take funds to develop industries, and it would be useful for states such as Bihar, Telangana, Andhra Pradesh, and parts of Uttar Pradesh.

Principal secretary industries S. Siddharth said a pool fund could be constituted under the 15th Finance Commission. It would be utilised for upgrading existing industrial facilities, creating new industrial infrastructure, establishing common service centres for entrepreneurs, to offset the cost of capital, and reimbursement of taxes.

Agrawal said Siddharth highlighted the "clustered" development of industries across India, like textile at Tiruppur in Tamil Nadu, automobiles in Pune and Gurgaon, IT in Bangalore, Pune, and Gurgaon.

The industries department principal secretary argued that industries are not coming out of the cluster-based approach because the already established industrial eco-system attracts them.

This, he pointed out, has led to imbalance and regional disparity.

Siddharth said: "We are preparing a concept note about the fund. It will be prepared soon and sent."

(Source :The Telegraph , 5.10.2018)

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा प्रज्ञा नेत्रालय हाजीपुर के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन

वार्षिकोत्सव का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
उनकी बाँयीं ओर पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक, श्री मौनी बाबा, प्रज्ञामंडल के सचिव श्री निशांत गाँधी एवं अन्य।

वार्षिकोत्सव को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में सचिव श्री निशांत गाँधी। मंचासीन राष्ट्रीय महिला आयोग की
पूर्व सदस्य सुषमा साहू, पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक, श्री मौनी बाबा।

वार्षिकोत्सव के अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को मोमेन्टो एवं
अंगवस्त्रम् प्रदान कर सम्मानित करते पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक।
उनकी दाँयीं ओर प्रज्ञामंडल के सचिव श्री निशांत गाँधी एवं अन्य।

प्रज्ञा मंडल द्वारा संचालित प्रज्ञा नेत्रालय का वार्षिकोत्सव समारोह दिनांक 25 अक्टूबर 2018 को हाजीपुर के सुभाष चौक स्थित सहनाई सभागार में आयोजित हुआ।

इस समारोह में चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित थे। इस समारोह का संयुक्त रूप से उद्घाटन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्मभूषण डॉ बिन्देश्वर पाठक, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, सोनपुर लोक सेवा आश्रम के श्री मौनी बाबा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती सुषमा साहू ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर डॉ बिन्देश्वर पाठक के कहा कि दूसरों के लिए जीना ही असली जीना है। दु:ख की घड़ी में पीड़ितों की मदद करना सच्चे मायने में ईश्वर की आराधना है। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की ओर से प्रज्ञा नेत्रालय के लिए अत्याधुनिक ओटी एवं हॉस्पिटलिटी युक्त मोबाइल वैन देने की घोषणा की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने से संबोधन में कहा कि प्रज्ञा मंडल द्वारा स्थापित प्रज्ञा नेत्रालय ने मात्र 10 वर्षो में 25 हजार गरीबों को आँखों की ज्योति देने का काम किया है। जो अति महत्वपूर्ण, सराहनीय एवं अनुकरणीय है। प्रज्ञा मंडल के सचिव श्री निशांत गाँधी एवं अन्य पदाधिकारियों का कार्य भी काफी सराहनीय है।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को मोमेंटो एवं अंगवस्त्रम देकर सम्मानित भी किया गया।

चैम्बर द्वारा नि:शुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्रीबालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को नि:शुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर सिर्फ व्यवसायिक हित के कार्यों का ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भी सदैव बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इसी क्रम में विश्व दृष्टि दिवस 2018 जो कि दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को था, के अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री बालाजी नेत्रलय के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में एक नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया था।

शिविर में काफी संख्या में लोगों ने आँखों की जाँच करायी थी जिनमें ज्यादातर लोगों को दवा एवं आँखों को सुरक्षित रखने का सलाह दी गई थी परन्तु

शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन किये गये मरीजों के साथ उपस्थित (दाँयें से बाँयें) चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, डॉ. शशि मोहनका, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री सावल राम डूलिया।

उनमें से कुछ ऐसे आँखों के रोगी थे जिन्हें तत्काल मोतियाबिन्द ऑपरेशन की आवश्यकता थी परन्तु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे ऑपरेशन पर होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं थे। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने जाँच शिविर में ही वैसे लोगों के आँखों का ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया था।

श्री अग्रवाल ने बताया कि उन्हीं रोगियों के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन डॉ० शशि मोहनका एवं उनके टीम द्वारा श्री बालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में किया गया।

उन्होंने कहा कि इस मोतियाबिन्द ऑपरेशन पर हुए पूरे खर्च का वहन चैम्बर द्वारा किया गया है साथ ही रोगियों को दवा एवं चश्मा भी उपलब्ध कराया गया है।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के अतिरिक्त चैम्बर के वरीय सदस्य श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सावल राम डूलिया, श्री एम० पी० जैन एवं अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित थे।

सरकार ने वित्त आयोग से मांगी पंद्रह साल पहले की हिस्सेदारी

पंचायतों को ही नहीं, जिला परिषद और पंचायत समितियों को भी मिले अनुदान, एसडीआरएफ के लिए केन्द्र दे राशि, बढ़े ग्रीन कवर का मिले पुरस्कार

राज्य के दौरे पर आए 15 वें वित्त आयोग से नीतीश सरकार ने बिहार को 15 वर्ष पहले मिल रही हिस्सेदारी दिलाने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा कि आयोग ऐसा कोई फार्मूला तैयार करे जिससे बिहार को 11वें वित्त आयोग से कम हिस्सेदारी नहीं मिले। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य को केन्द्रीय मूल से बिहार को 11.589 फीसद हिस्सेदारी मिली थी।

त्रिस्तरीय पंचायतों में बंटे अनुदान : 14 वें वित्त आयोग ने सिर्फ ग्राम पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था की है। इस पर असहमति जताते हुए कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को भी अनुदान में हिस्सेदारी दी जाए। वन क्षेत्र के आधार को 6.5 फीसद के महत्व को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा है कि इसके स्थान पर वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी को आधार बनाया जाए।

आपदा में सौ फीसद मदद करे केन्द्र : राज्य सरकार ने कहा है कि 14 वें वित्त आयोग ने राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्र और राज्यों के बीच 90 अनुपात 10 फीसद की हिस्सेदारी की अनुशंसा की थी हालांकि अभी तक 75 अनुपात 25 फीसद का ही फर्मूला लागू है। बिहार जैसे सर्वाधिक आपदा से प्रभावित राज्य के लिए यह 10 फीसदी की हिस्सेदारी उठा पाना भी मुश्किल का काम है। आयोग इस कोष में केन्द्र की हिस्सेदारी शत प्रतिशत किए जाने की सिफारिश करे।

पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता देकर क्षेत्रीय विषमता दूर करे फाइनेंस कमीशन : बिहार सरकार ने 15 वें वित्त आयोग को कहा है कि क्षेत्रीय विषमता दूर किए जाने को ले आयोग बिहार सहित अन्य पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए। आयोग के अध्यक्ष एन० के० सिंह के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन में यह बात कही गई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो : राज्य सरकार के प्रेजेंटेशन में यह बल देकर कहा गया कि राज्यों के लिए राशि हस्तांतरण (डिवोल्यूशन) की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जिस प्रक्रिया के तहत राशि का हस्तांतरण हो उसे बजट डॉक्यूमेंट या फिर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट में लाया जाए। वित्त आयोग द्वारा डेवोल्यूशन के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाए वह सभी राज्यों के लिए एक समान हो।

बिहार ने मांगी अतिरिक्त मदद : • कृषि रोड मैप • सात निश्चय • बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन • आर्किलॉजिकल साइट्स के संरक्षण के लिए राशि • आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए राशि • कटाव निरोधी • कार्यक्रम के लिए राशि • मौसम परिवर्तन को केन्द्र में रख चलने वाले कार्यक्रमों के लिए निधि • पिछड़े जिलों के विकास के लिए अतिरिक्त मदद • हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण के लिए अतिरिक्त मदद • पंचायत सरकार भवन के निर्माण को सहायता • गरीबों के लिए आवास योजना के लिए राशि • शेल्टर होम निर्माण के लिए राशि।

आबादी और प्रति व्यक्ति आय को मुख्य आधार बनाए वित्त आयोग : 15वें वित्त आयोग को सर्वदलीय ज्ञापन सौंप बिहार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। साथ ही राज्यों के बीच राशि वितरण में आबादी और प्रति व्यक्ति आय को मुख्य आधार बनाने का आग्रह किया है। सभी दलों की ओर से यह ज्ञापन एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री) ने तैयार किया है, जिसमें बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की मांग भी प्रमुखता से शमिल है। वित्त आयोग ने आबादी के लिए 2011 की जनगणना को इस बार आधार माना है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राज्यों के बीच राशि बंटवारे में आबादी को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाए। 14वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को मात्र 10 प्रतिशत 'वेट' दिया था। बिहार ने अपना ग्रीन कवर 9.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर लिया है। इसका इसे पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि वन क्षेत्र को भी वित्त आयोग ने अपने मापदंड में शामिल किया है। यह आग्रह भी किया गया है कि अधिक अनुदान दिया जाए। 14 वें वित्त आयोग ने अनुदान को स्थानीय निकायों एवं आपदा प्रबंधन तक सीमित कर दिया था। (दैनिक जागरण, 4.10.2018)

लोन रिकवरी का सिस्टम सुधारें बैंक: उप-मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में कहा कि अब साइबर क्राइम व साइबर फ्राड के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इनकी रोकथाम के लिए बैंकों को अपना मैकेनिज्म और पुख्ता करना चाहिए।

आरबीआई द्वारा तैयार सीडी विमोचन के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि तमाम बैंक बिहार में रिकवरी न होने की बात कहते हैं मगर उन्हें अपना ट्रैकिंग सिस्टम सुधारना होगा। कहा कि जब राज्य का गरीब आदमी बैंक का पैसा लौटा सकता है तो सक्षम लोग क्यों नहीं देंगे। श्री मोदी ने कहा कि तमाम छोटे बैंकों के प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर बताया कि उनकी रिकवरी 99 से सौ प्रतिशत तक है। सुझाव दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले तमाम शब्दों को सरल-सरल कर प्रचारित किया जाए। तमाम बैंकों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के डाटा में काफी गड़बड़ी है, इसे सुधारा जाए। कहा कि सरकार सारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जारी करती है मगर तमाम खातों में राशि नहीं पहुँचती। महीनों तक बैंक पैसा

ट्रांसफर न होने का कारण तक नहीं बता पाते। कहा कि बैंकों को अपनी समीक्षा प्रणाली भी सुधारनी चाहिए। उन्हें शाखावार समीक्षा करने का सुझाव दिया।

श्री मोदी ने कहा कि बैंकों द्वारा सिक्के न लेने की शिकायत पहले काफी आ रही थीं। बैंक सिक्के गिनने की मशीन लगाएँ। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के बिहार दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पहले 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया जा रहा था। इससे बिहार को काफी नुकसान था। तब बिहार की जनसंख्या तीन करोड़ थी और अब 11 करोड़ है। इस बार 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया है। इससे पूर्व आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एन. पी. टोपनो और बैंक के अधिकारी मनोज कुमार ने 11 मिनट की लघु फिल्म की जानकारी दी। कहा कि इससे आमजन को आरबीआई के काम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस फिल्म को प्रदर्शित भी किया गया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.10.2018)

छोटे कारोबारियों को फ्री में एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देगी जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल आने वाले दिनों में देश के छोटे कारोबारियों को मुफ्त में एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देगा। फ्री में सॉफ्टवेयर लेने वाले कारोबारियों का कितना टर्न ओवर होना चाहिए, इस पर काउंसिल विचार कर रहा है। जीएसटीएन सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए देश के एक दर्जन से अधिक प्रमुख कंपनियों से बात कर रही है। कारोबारियों को एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। उनके लिए बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। दरअसल, देश में एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर कानून लागू होने के बाद से छोटे कारोबारियों की दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए मुफ्त में काउंटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने का निर्णय काउंसिल ने लिया है। हालांकि, बाजार में ऐसे काफी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी : यह आपके बिजनेस को और सरल बनाता है। कहीं से भी इसका इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध होती है। मसलन, इसमें सूचनाओं की रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। आमतौर पर छोटे व्यवसायों के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के साथ जीएसटी रेडी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोबाइल और क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग की सुविधा भी होती है। इन सॉफ्टवेयर में इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, सेल्स एंड परचेज ऑर्डर मेनेजमेंट, बिजनेस स्पेशिफिकेशन फीचर और कम कीमत और ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है।

साफ्टवेयर से होगी कारोबारियों को सहूलियत : "छोटे कारोबारियों को मुफ्त में एकाउंटिंग साफ्टवेयर दिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। कंपनियों से बात चल रही है। कारोबारियों को काफी सहूलियत होगी।"

– सुशील मोदी, उपमुख्यमंत्री सह अध्यक्ष, जीएसटी मंत्रियों का समूह

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.10.2018)

पैकेट पर प्रति किलो मूल्य भी छपे : उपभोक्ता संगठन

उपभोक्ता कल्याण संगठन ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि खाद्य पदार्थों के हर पैकेट पर प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर का मूल्य भी छपा होना चाहिए। इससे ग्राहक पूरी जानकारी के साथ सामान खरीद सकेंगे। अभी पैकेट पर वास्तविक वजन के हिसाब से दाम छपा होता है।

मुम्बई उपभोक्ता कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार में अलग-अलग आकार की पैकिंग और कीमत में खाने की चीजें मिल रही है। इससे ग्राहकों को खरीदारी के दौरान प्रोडक्ट्स चुनने में परेशानी होती है। निर्माता नियमों का फायदा उठाते हुए पैकेट में हवा भर देते हैं। इससे ग्राहकों को लगता है कि पैकेट में ज्यादा सामान है। जबकि ऐसे निर्माता प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में ज्यादा कीमत पर कम सामान देते हैं। संगठन का कहना है कि कंपनियाँ वास्तव में नियम का उल्लंघन कर गैर-मानक आकार के पैकेट में सामान बेच रही हैं। **(दैनिक भास्कर, 5.10.2018)**

मधेपुरा के केला बगान से निकले थम के रेशे से मुंबई में बनेंगे कपड़े व धागे

केला उत्पादन के लिए चर्चित सिंहेश्वर के रामपट्टी के बगान से निकले केले अब किसानों के लिए मुसीबत नहीं वरदान बनने वाले हैं। केले के थम से रेशा निकालकर मुंबई व सूरत के कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा व धागा बनेगा। सिंहेश्वर रामपट्टी के ही सतीश कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार का दूसरा फाइबर प्लांट शुरू किया है। सतीश को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्लांट से प्रतिवर्ष 20 टन रेशा निकाला जाएगा। रेशों का उपयोग कपड़ा व धागा के अलावा कटोरे, बैग और कागज व कार्टन बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाएगा।

थम के अवशिष्ट से तैयार होगा वर्मी कम्पोस्ट : सतीश कहते हैं कि आगे इस कार्य को और भी विस्तार रूप दिया जा रहा है। हमलोग केले के थम के अवशिष्ट से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। जल्द ही वर्मी कम्पोस्ट भी इसी स्थान पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में गोबर की जरूरत होगी। इसके लिए हमलोग पीपीडी मोड पर गोपालन शुरू करने जा रहे हैं। **(साभार : दैनिक भास्कर, 15.10.2018)**

बिजली पर बड़ा निवेश करेगा बिहार, कृषि फीडर होगा अलग

राज्य सरकार ने अगले वर्ष मार्च के अंत तक करीब 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में खेती के अलग फीडर तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम अपने लिए नए-नए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। आज की तारीख में राज्य के हर गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। अब हम घर-घर तक बिजली पहुँचाने में जुटे हुए हैं। इसके बाद हमारा लक्ष्य खेत-खेत तक बिजली पहुँचाने का है। इसके लिए हम खेती के लिए अलग फीडर तैयार कर रहे हैं। इससे लोग बिजली से ही खेती करने लगेंगे और सिंचाई और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बचत होगी। साथ ही, डीजल अनुदान की भी बचत होगी।'

राज्य सरकार ने इसके लिए पूरे बिहार में 1,312 नए फीडर बनाने का फैसला लिया है। इस पर कुल मिलाकर राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार का पारेषण लाइनों पर भी मोटा निवेश होगा। खेती के लिए अलग फीडर तैयार होने के बाद राज्य सरकार ने डीजल सब्सिडी को खत्म कर सकती है। इससे राज्य सरकार को हर साल 500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

गौरतलब है कि नीति आयोग ने इस साल की शुरुआत में अपने एक रिपोर्ट में बिहार में कृषि फीडर के निर्माण में देरी के लिए बिहार सरकार की जिम्मेदार भी बताया था। साथ ही, आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में देरी से राज्य के 70 फीसदी से ज्यादा किसान अब भी खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.10.2018)**

BTPS TRANSFER TO NTPC WILL END BIHAR'S CLAIM ON POWER PLANTS

FORFEITING RIGHT As joint venture projects, Bihar used to own 30% equity share in kanti and 50% in Nabinagar while BTPS was a wholly owned state unit

Decks have been cleared for transfer of ownership of the Barauni Thermal Power Station (BTPS) to the National Thermal Power Corporation (NTPC), with the coal ministry agreeing to transfer coal linkage of its stage I (2x110 MW) and bridge linkage of stage II (2x250 MW) units to the Central public sector undertaking (CPSU).

Minister of railways and coal, Plyush Goyal, communicated this decision to Bihar energy minister Bijendra Prasad Yadav.

With the transfer of BTPS to NTPC, Bihar will forfeit its title rights on all three thermal power plants it once had equity in. In doing so, it will also surrender to NTPC a combined installed

capacity of 3,310 MW.

The state government had, on June 27 this year, notified transfer of the 2x110 MW and 2x195 MW units of the Kanti Bijli Utpadan Nigam Limited (KBUNL) and 3x660 MW units of the Nabinagar Power Generation Company Limited (NPGCL) power plants, which were joint venture (JV) Projects with NTPC. It had then also agreed to transfer to NTPC 2x110 MW and 2x250 MW units of the BTPS thermal power plant.

As JV projects, Bihar used to own 30% equity share in kanti and 50% in Nabinagar while the BTPS was a wholly owned state unit.

"The transfer of ownership will help in efficient operation and cost effective generation of power," sald a communique from the Bihar State power Holding Company (BSPHCL).

Bihar will get Rs 392.78 crore (approx.) in compensation for transfer of equity of the Kanti plant and another Rs. 1737 crore (approx.) for the Nabinagar plant. Besides it will also get Rs 3,500 crore (approx.) for the BTPS, added Lakshmanan.

At present only one unit (110 MW) of the Barauni power plant is operational. Another of 110 MW and one unit of 250 MW of BTPS has been tested at full load and is expected to commence generation soon. Two units of the Nabinagar plants are expected to commence generation next year and one unit of NPGCL is likely to commence generation by November 18, he added.

Bihar is committed to get 100% power (720 MW) from BTPS, 66.66% (1320 MW) from NPGCL and 100% from KBUNL stage I (220 MW) and 76% (296.4 MW) from stage II.

At present, Bihar gets 3300 MW power from Central sectors (NTPC power plants) and an average 1300-1400 MW per day through medium and long-term power purchas agreements as well as power purchase exchange. **(Details : Hindustan Time , 1.10.2018)**

बिहार में चोरी हो जा रही एक-तिहाई बिजली

बिहार में हो रही बिजली आपूर्ति में से 29.9 फीसदी चोरी हो रही है। बिहार में बिजली चोरी राष्ट्रीय औसत 20.4 फीसदी से लगभग 10 फीसदी अधिक है। देश के 23 राज्यों में बिजली चोरी के मामले में बिहार 16 वें पायदान पर है।

आसपास के राज्यों से बिहार की तुलना करें तो 14वें पायदान पर रहे झारखण्ड में 28.1 फीसदी, 15वें पायदान पर रहे मध्यप्रदेश में 29.7 फीसदी, 17वें पायदान पर रहे उत्तर प्रदेश में 30.1 फीसदी और 18वें पायदान पर रहे प. बंगाल में 31.1 फीसदी बिजली चोरी हो रही है।

ऊर्जा मंत्रालय कर रहा निगरानी : केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में हो रही बिजली चोरी की निगरानी की जा रही है। सितम्बर की जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश के 23 राज्यों में बिजली चोरी के मामले में बिहार को 16वें पायदान पर रखा गया है। बिहार की दो वितरण कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 25.3 प्रतिशत तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 33.2 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही है। देश की 40 बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार 27 वें तो साउथ बिहार 34वें पायदान पर है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2018)

पटना सिटी में हर दिन बनेंगे एक लाख एलईडी बल्ब

आने वाले दिनों में पटना सिटी के एलईडी बल्ब क्लस्टर में प्रतिदिन एक लाख से अधिक बल्ब का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बल्ब निर्माण के लिए सबसे जरूरी मशीन सरफेस माउंटिंग डिवाइस के लिए टेंडर हो गया है। एलईडी बल्ब क्लस्टर को निखारने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की आईटी मंत्रालय की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाईलेट) को दी गई है। यह संस्थान उद्यमियों को न केवल सलाह देगा, बल्कि टेक्निकल स्टाफ को बल्ब निर्माण की ट्रेनिंग भी देगा। मुख्यमंत्री क्लस्टर डेक्लपमेंट योजना के तहत उद्योग विभाग सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा।

कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा : एलईडी बल्ब क्लस्टर में उद्योग विभाग कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर देगा। यहाँ एलईडी बल्ब की टेस्टिंग से लेकर सर्टीफिकेशन तक की सुविधा उद्यमियों को मिलेगी। पटना सिटी के बल्ब निर्माण उद्योग में लगे उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए सोसायटी और स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) का गठन भी कर लिया है।

"उद्योग विभाग एलईडी क्लस्टर के कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर देगा, जिसमें उद्यमियों के लिए सबसे महँगी मशीन सरफेस माउंटिंग डिवाइस लगाया जाएगा। इस मशीन की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।"

– डॉ. एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.10.2018)

स्टार्टअप को मिलेगी जमीन

राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने अब इन्हें कई नई सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। इसके तहत इन्हें जमीन और ब्याज रहित कर्ज मिलेगा। आईटी से जुड़े स्टार्टअप को काम करने की जगह भी सरकार देगी।

राज्य सरकार ने बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, 'बिहार के विकास में हम राज्य में स्टार्टअप की अहमियत को समझते हैं। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है और ये कई जटिल समस्याओं का आसान हल भी सामने लाते हैं। हमने स्टार्टअप के लिए अनुकूल नीति बनाई है। साथ ही, हम उन्हें रियायतें भी दे रहे हैं। इससे राज्य में उद्यम का तेजी से विकास होगा।'

इसके अलावा, राज्य सरकार ने स्टार्टअप के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का फैसला लिया है।

उप मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप को लघु, छोटे व मझोले की श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इससे इस क्षेत्र की नीति का फायदा नए उद्यमियों को मिलेगा। साथ ही, एमएसएमई संकुल में स्टार्टअप के लिए 10 फीसदी जमीन सुरक्षित रहेगी। इसकी शुरूआत पटना के पास बिहटा के अपने औद्योगिक पार्क से होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए सभी औद्योगिक पार्कों में 25 फीसदी जमीन सुरक्षित रखने का फैसला लिया था। इसके साथ ही आईटी से जुड़े स्टार्टअप्स को काम करने के लिए जगह भी 3 वर्षों के लिए मुफ्त में दी जाएगी।

इन्हें राज्य सरकार की खरीद नीति, ब्याज अनुदान और निविदाओं में सरंक्षण का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा, इन स्टार्टअप को राज्य सरकार की नीति का पूरा फायदा भी मिलेगा। इसके तहत इन्हें लाइसेंस व अन्य कागजी प्रक्रियाओं में 5 साल की रियायत भी मिलेगी। राज्य में अब तक 57 स्टार्टअप की शुरूआत हो चुकी है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.10.2018)**

बिहार की खादी देशभर में बिखेरेगी चमक

रेमंड्स और अरविंद मिल्स खादी से सूट तैयार करने में जुटी

आने वाले समय में बिहार की खादी पूरे देश में अपनी चमक बिखेरेगी। देश की दो बड़ी कपड़ा बनाने वाली कंपनियाँ रेमंड्स और अरविंद मिल्स बिहार की खादी के कपड़े से सूट तैयार करने में जुटी हुई हैं।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ बी. एन. प्रसाद ने कहा कि दोनों कंपनियों ने मधुबनी एवं भागलपुर से नमूने के तौर पर खादी मंगाकर प्रयोग आरंभ किया है। इनकी खादी के सिर्फ सूट ही नहीं, अन्य वस्त्र भी बनाने की योजना है।

केरल से 6 करोड़ का आर्डर : उद्योग विभाग के निवर्तमान प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के मुताबिक, अगर इन दोनों कंपनियों से आर्डर आने लगा तो प्रदेश में खादी के निर्माण से जुड़े लोगों में एक नए उत्साह का संचार होगा। अभी केरल के वस्त्र निर्माताओं ने छह करोड़ के आर्डर दिए हैं। इसके अलावा केरल के इरनाकुलम में पिछले सप्ताह लगाई गई प्रदर्शनी में भी 80 लाख के आर्डर मिले हैं। हम खादी के लिए इसे एक पोजिटिव साइन मान रहे हैं। बी. एन. प्रसाद ने कहा कि इस समय प्रदेश में करीब 12 करोड़ रुपये सालाना की खादी बन रही है। हमारा लक्ष्य इसे बढ़ाकर करीब 20 करोड़ करना है। बिहार में बोर्ड से 92 खादी संस्थाएं जुड़ीं हैं। **(Source : Inext , 10.10.2018)**

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या-पर्या०/वन-25/2018 पटना-15, दिनांक

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान तथा स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48- क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग से सामान्य रुप से पर्यावरण एवं विशेष रुप से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं;

इसलिए, अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना सं० एस० ओ० 152 (ई०) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किए बिना) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्, पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती है:-

निर्देश :

1. कोई भी व्यक्ति, राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।
2. बिहार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारिता में कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला अथवा सब्जीवाला आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवाद :

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण / भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग को एतद् द्वारा छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत किसी अपवाद का प्रावधान करने का अधिकार आरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दूध उत्पादों तथा पौधशालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्लास्टिक की थैलियों" का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

"प्लास्टिक की थैलियों" का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी :

निम्नलिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनकी अधिकारिता में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
4. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपनी अधिकारिता की बाबत।
5. अनुमंडल दण्डाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी अधिकारिता की बाबत।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम की बाबत।
7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की बाबत।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 और 422 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बनाई गई उप विधियों (Bye-laws) में प्राधिकृत पदाधिकारी / कार्यबल
9. क्षेत्रीय पदाधिकारी / सहायक पर्यावरण अभियंता / वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
10. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी बाबत।

अनुश्रवण :

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध परिवाद वाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान :

इन निर्देशों का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध से कारावास, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

किसी भी निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाये गये उप-विधियों के अनुरूप जप्ती, जुर्माना, अपराधशमन इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रवर्त्तन :

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात् प्रवृत होगी। इसी 60 दिनों की अवधि के भीतर सभी व्यक्ति जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा प्लास्टिक कैरी बैग के व्यापारी एवं दुकानदार, विक्रेता, फेरीवाला, सब्जीवाला शमिल हैं, के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक-पर्या०/वन-25/2018-1153 ई०/प०व० पटना-15 दिनांक 15.10.2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

ह०/-
(त्रिपुरारि शरण)
सरकार के प्रधान सचिव

कृषि यंत्र बैंक से सरकार बढ़ाएगी किसानों की उत्पादकता और आय

• 13 जिलों के 325 गांवों में कृषि यंत्र बैंक बनाने की योजना • यांत्रिकीकरण से उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि और लागत में 20 प्रतिशत तक की आई कमी • यंत्र कस्टम हायरिंग के लिए मोबाइल आधारित एप बागरी जे फार्म सर्विस का शुभारंभ • पॉवरटिलर, रोटावेटर सहित 10 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक कर सकते हैं स्थापित

राज्य में किसानों की आय और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनायें चला रही है। इसी सिलसिले में राज्य में कृषि यंत्र के माध्यम से फसल उत्पादन और उत्पादकता गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए गाँवों में कृषि यंत्र बैंक बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय बिहार सरकार ने लिया है।

कृषि यंत्र बैंक की योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के तहत 2018-19 में किसान कल्याण अभियान में शामिल योजना है। कृषि अभियंत्रिकरण के उपयोग से फार्म पॉवर उपलब्धता की कैटेगरी एक में बिहार को रखा गया है। आज राज्य में फार्म पॉवर उपलब्धता 2.797 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 2.025 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 13.10.2018)

माल ढुलाई पर रेलवे का जोर

माल ढुलाई से कमाई की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से भारतीय रेल ने कोयले के परिवहन के लिए 989.77 अरब रुपये की लागत से 84 परियोजनाओं की चिह्नित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय करीब 14 परियोजनाओं की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है, जिससे इन्हें 2020 और 2022 के बीच पूरा किया जा सके।

• परियोजनाओं की संख्या : **84** • कुल लंबाई : **9, 259** किलोमीटर • नई लाइनें : **2, 178** किमी • आमान परिवर्तन : **636** किमी • दोहरीकरण, तिहरीकरण और चार लाइनें : **6,445** किलोमीटर

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.10.2018)

शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध, 5000 तक लगेगा जुर्माना

जुर्माना रुपए में

कैरी बैग का उत्पादन
- पहली बार - 2000 रुपए
- दूसरी बार - 3000 रुपए
- बार - बार - 5000 रुपए

व्यावसायिक उपयोग
- पहली बार - 1500 रुपए
- दूसरी बार - 2500 रुपए
- बार - बार - 3500 रुपए

कैरी बैग का घरेलू उपयोग
- पहली बार - 2000 रुपए
- दूसरी बार - 3000 रुपए
- बार - बार - 5000 रुपए

प्लास्टिक को खुले में जलाना
- पहली बार - 2000 रुपए
- दूसरी बार - 3000 रुपए
- बार - बार - 3500 रुपए

सार्वजनिक स्थल पर फेंकना
- पहली बार - 1000 रुपए
- दूसरी बार - 1500 रुपए
- बार - बार - 2000 रुपए

निजी अस्पताल अब नहीं कर सकेंगे मरीजों का शोषण

बिहार के निजी अस्पताल या डॉक्टर अब न तो मरीजों का शोषण कर पाएंगे और न ही मरीजों के परिजन डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर पाएंगे। कैबिनेट ने बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान व व्यक्ति सुरक्षा नियमावली 2018 को मंजूरी दे दी। इसके तहत डीएम और एसपी अपने जिले के सभी अस्पतालों की सुरक्षा की पड़ताल कराएंगे। सभी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाया जाएगा। इसके फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अगर किसी अस्पताल या डॉक्टर को सुरक्षा का खतरा महसूस होगा तो फॉर्म-1 भर कर स्थानीय थाने को देंगे। उसके बाद यह पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षा प्रदान करे। अगर किसी निजी अस्पताल में मरीज को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके परिजन तत्काल फॉर्म - 2 भर कर स्थानीय थाने को देंगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.10.2018)

17887 करोड़ रुपये से पाँच साल में दौड़ेगी पटना मेट्रो

सैद्धांतिक मंजूरी के लिए केन्द्र को प्रस्ताव

संशोधित डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद पटना मेट्रो एक कदम और आगे बढ़ गया है। केन्द्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए स्वीकृत डीपीआर ही भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय को भेज दिया जायेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की सक्रियता को देखते हुए डेढ़ से दो महीने में प्रस्ताव पर सहमति मिलने की उम्मीद है। केन्द्र की सहमति मिलते ही केंद्रांश राशि के साथ ही विदेशी कर्ज का रास्ता भी साफ हो जायेगा।

अब एक्टिव होगा पीएमआरसी : कैबिनेट मंजूरी मिलते हो नवगठित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) अब एक्टिव हो जायेगा। 2000 करोड़ रुपये अधिकृत पूंजी की इस कंपनी के चेयरमैन (चैतन्य प्रसाद, नगर विकास एवं आवास विभाग) और एक निदेशक (संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग) अधिसूचित हो चुके हैं, जबकि वित्त, पथ, ऊर्जा और परिवहन विभाग के निदेशकों के नाम मांगे गये हैं। एमडी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। बतौर कंपनी अधिसूचित होते ही कॉरपोरेशन अंतरिम कंसलटेंट, डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट व जनरल कंसल्टेंट की नियुक्ति के साथ ही भू-अर्जन संबंधित मुद्दों पर काम शुरू कर देगा। केन्द्र की मंजूरी के बाद मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुसार ज्वाइंट एसपीवी का गठन होगा, जिसमें चेयरमैन भारत सरकार के जबकि एमडी बिहार सरकार के नॉमिनी होंगे। पाँच नये केंद्रीय निदेशक भी जुडेंगे।

पाँच रूटों पर अनुशंसा : डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी राइट्स ने शहर में पाँच रूटों पर मेट्रो चलाने की अनुशंसा की है, जिसमें से दो रूट की डिटेल रिपोर्ट बनायी गयी है। इन्हीं दो रूटों इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर पहले चरण में काम शुरू होगा। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 31. 39 किमी होगी, जिसमें कुल 24 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें 15.38 किमी का भाग एलिवेटेड यानि सड़क के ऊपर जबकि 15.75 किमी भाग अंडरग्राउंड यानि सड़क के नीचे रहेगा। 12 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड और 11 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि एक सड़क के बराबर आयेंगे।

7437.48 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार : मेट्रो परियोजना का संचालन एसपीवी इक्विटी- डेब्ट मॉडल पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के साथ जीका या एडीबी से ऋण प्राप्त कर होगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली कुल राशि 17887.56 करोड़ में से 7437.48 करोड़ रुपये का बोझ राज्य सरकार उठायेगी।

इसके साथ ही 7837.56 करोड़ रुपये का कर्ज एडीबी, जीका या बाहरी स्त्रोतों से लिया जायेगा। केन्द्र सरकार महज 2612.52 करोड़ ही देगी। यह प्रोजेक्ट पाँच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

• **ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर वन :** दानापुर से पटना रेलवे स्टेशन • स्टेशन - 12, दूरी- 16.94 किमी (एलिवेटेड- 5.48 किमी, अंडरग्राउंड- 11.21 किमी, समतल- 0.25 किमी) • **नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर टू :** पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी • स्टेशन- 12 किमी, दूरी- 14.45 किमी (एलिवेटेड- 9.90 किमी, अंडरग्राउंड- 4.55 किमी) **(प्रभात खबर, 10.10.2018)**

पटना साहिब से पटना घाट तक बनेगी फोरलेन

पटना साहिब स्टेशन से पटना घाट के बीच प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर को डीएम कुमार रवि ने स्थल का मुआयना किया। सड़क निर्माण को लेकर रेलवे व राज्य सरकार के बीच पटना-दीघा रेललाइन की तरह ही जमीन हस्तांतरित होनी है। इस पथ के बन जाने से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। दो किलोमीटर लंबी यह सड़क गंगा पथ से जुड़ेगी। जिससे पटना साहिब स्टेशन तक का रास्ता आसान हो जाएगा। साथ ही अशोक राजपथ पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। डीएम ने रेलवे के इस भूभाग का मुआयना किया और अधिकारियों को जमीन का नक्शा के अनुसार नापी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.10.2018)

जनवरी 2019 तक पूरा होगा हाजीपुर-बछवारा दोहरीकरण

पूर्व मध्य रेल द्वारा नई लाइन, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन सहित अन्य सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य चल रहा है। समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक में महाप्रबंधक ललित चन्द्र त्रिवेदी निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाप्रबंधक का स्पष्ट निर्देश है कि सभी निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाते हुए इसे तय समय सीमा पर पूरा करने के लिए एक रणनीति के तहत कार्य किया जाए। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 12.10.2018)**

अगले साल जुलाई में बनकर तैयार होगा बैरिया का अंतरराज्यीय बस टर्मिनल

जीरोमाइल से आधा किलोमीटर दूर पटना- गया मार्ग पर रामाचक बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बस टर्मिनल का निर्माण करने वाली एजेंसी को जुलाई, 2019 तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग बुडको कर रही है। 25 एकड़ में बनने वाले आठ मंजिला बस टर्मिनल के नीचे गाड़ियों और ऊपर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूप, बाथरूम, पेयजल, सूचना सेंटर, ड्राईवरों के लिए विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। इस पर 331.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बिहार का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक बस टर्मिनल होगा। यहाँ से करीब 3 से 5 हजार बसों का परिचालन संभव हो सकेगा। बस टर्मिनल चालू होने के बाद शहर में बसों का प्रवेश बंद हो जाएगा। सभी बसें टर्मिनल से खुलेगी।

बस टर्मिनल में गड़ियों के प्रवेश और निकास का मार्ग अलग-अलग होगा। बाहर से यात्रियों को लेकर टर्मिनल में आने वाली बस मुख्य भवन के पीछे जाएगी। यहाँ बने बस-वे में खड़ी होने के बाद यात्री उतरेंगे। यहाँ खड़ी बसें अपने तय समय के अनुसार टर्मिनल के अगले हिस्से में बने बस-वे में खड़ी होगी। यात्रियों के बस में बैठने के बाद इनका परिचालन शुरू होगा।

"अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के परिचालन के लिए अलग से जगह मिलेगी। इसका प्रस्ताव परिवहन विभाग ने दिया था। मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के परिचालन के लिए अगल से जगह या स्टैंड देने की अनुमति मिली है। जगह का चयन किया जाना बाकी है। जल्द ही जगह चयनित कर विकसित किया जाएगा।" **– संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग**

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.10.2018)

सरकार ने बढ़ाया बीस प्रतिशत बस भाड़ा

परिवहन विभाग ने बस भाड़े में लगभग 20 फीसदी बढ़ोतरी की है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

बस भाड़ा (किमी के हिसाब से)

श्रेणी	नया	पुराना
साधारण बस	90 पैसे	75 पैसे
एक्सप्रेस बस	95 पैसे	80 पैसे
सेमी डीलक्स	1.14 रु.	95 पैसे
डीलक्स बस	1.36 रु.	1.15 रु.
डीलक्स एसी	1.50 रु.	1.25 रु.
वाल्वो	2.00 रु.	1.70 रु.

चार साल बाद हुआ रिवाइज : परिवहन विभाग ने अगस्त 2014 में बस भाड़ा निर्धारित किया था। चार साल बाद बस भाड़ा रिवाइज हुआ है। 2014 में साधारण बस के लिए 75 पैसे प्रति किमी, एक्सप्रेस बस 80 पैसे, सेमी डीलक्स बस 95 पैसे, डीलक्स बस एक रुपये 15 पैसे, डीलक्स एसी बस एक रुपये 25 पैसे, वाल्वो बस एक रुपये 70 प्रति किमी था।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 7.10.2018)

28 से सातों दिन सीधे मुम्बई जायेंगी जेट की फ्लाइटें

जेट एयरवेज की फ्लाइट 28 अक्टूबर से सप्ताह में सातों दिन पटना से सीधे मुम्बई जायेंगी। इन दिनों यह सप्ताह में केवल दो दिन शनिवार और रविवार को पटना से सीधे मुम्बई जाती है। सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह के बचे पाँच दिन यह फ्लाइट पटना से दिल्ली होते हुए मुम्बई जाती है। जिससे यात्रियों को मुम्बई के लिए अधिक किराया देना पड़ता है और समय भी अधिक लगता है। लेकिन 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार तक भी दिल्ली होकर जाने की बजाय यह फ्लाइट सीधे मुम्बई जायेगी। दिल्ली जाने के लिए पहले की तरह जेट की तीन रेगुलर फ्लाइटें चलती रहेगी।

पटना से मुम्बई के लिए हो जायेगी तीन फ्लाइटें : जेट एयरवेज को मुम्बई वाली फ्लाइट के रोजाना होने से पटना से मुम्बई जानेवाली नियमित फ्लाइटों की संख्या तीन हो जायेगी। गो एयर और इंडिगो की फ्लाइट पहले से ही हर दिन मुम्बई के लिए जाती है। ऐसे में जेट एयरवेज की फ्लाइट नियमित होने से मुम्बई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

बेंगलुरु के लिए जेट की साप्ताहिक उड़ान : पटना बेंगलुरु के बीच जेट की साप्ताहिक उड़ान शुरू होगी। दोपहर 1.25 में बेंगलुरु से फ्लाइट संख्या 9W141 पटना आयेगी और 1.55 में फ्लाइट संख्या 9W 142 बन कर पटना से बेंगलुरु जायेगी। अभी सप्ताह में केवल एक दिन शनिवार को जाने वाली यह फ्लाइट 28 अक्टूबर से रोजाना जायेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 13.10.2018)**

क्या होता है टैरिफ?

जागरण पाठशाला : विश्व व्यापार से जुड़ी खबरों में आजकल टैरिफ शब्द काफी चर्चा में है। पिछले हफ्ते भारत ने गैर-जरूरी आयात को कम करने के लिए 19 वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया जबकि इससे कुछ समय पहले अमेरिका और चीन भी एक दूसरे खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के कदम उठा चुके हैं। टैरिफ क्या है? जब कोई देश एक स्तर से अधिक टैरिफ बढ़ाता है तो प्रभावित देश किस तरह डब्ल्यूटीओ में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ से दो फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को राजस्व मिलता है और दूसरा, देश में निर्मित वस्तुओं की कीमत आयातित वस्तुओं की तुलना में कम रहने से घरेलू निर्माताओं को लाभ होता है। उरुग्वे दौर की वार्ताएं (जिसके बाद डब्ल्यूटीओ बना) का एक उद्देश्य यह भी था कि सभी देशों ने कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क की सीमा तय करने की प्रतिबद्धता जताई। विकसित देशों ने तो अपने यहाँ कई आयातित चीजों पर टैरिफ की दर घटाकर शून्य ही कर दी थी।

टैरिफ तीन प्रकार के होते है : - (1) बाउंड टैरिफ- यह वस्तु या सेवाओं के आयात पर उच्चतम दर है, (2) प्रीफरेंशियल टैरिफ - यह न्यूनतम दर है और (3) मोस्ट - फेवर्ड नेशन टैरिफ-यह दर इन दोनों के बीच में होती है। असल में जब कोई देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है और अन्य देशों के साथ व्यापारिक वार्ताओं में भाग लेता है तब वे टैरिफ के बाउंड रेट तय करते है। इसका मतलब है कि वह देश आयातित सामान पर बाउंड रेट से अधिक टैरिफ नहीं लगाएगा। अगर वह ऐसा करेगा तो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश उसकी शिकायत कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ में विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी (डीएसबी) की है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। जब कोई देश दूसरे के खिलाफ शिकायत करता है तो डब्ल्यूटीओ में पहले उसे आपस में परामर्श और मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए दोनों पक्षों को 60 दिन का वक्त दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत ने इस साल 23 मई को अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है। भारत का कहना है कि अमेरिका ने स्टील पर 25 फीसद और एल्युमिनियम पर 10 फीसद ड्यूटी लगाकर डब्ल्यूटीओ के समझौते का उल्लंघन किया है।

अगर आपसी परामर्श से मामला नहीं सुलझता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी 45 दिन के भीतर विशेषज्ञों का 'पैनल' गठित कर सकती है। जिस देश के खिलाफ शिकायत की गई है वह सिर्फ एक बार ही पैनल के गठन की प्रक्रिया को रोक सकता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को पुन: पैनल गठित करने से नहीं रोका जा सकता। शिकायतकर्ता देश और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, दोनों अपना पक्ष पैनल के समक्ष रखते हैं। पैनल छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप देता हैं। इसके बाद तीन माह के भीतर रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को सौंप दी जाती है। अगर कोई देश 'पैनल' की रिपोर्ट के

खिलाफ अपील नहीं करता तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी 60 दिन के भीतर उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है। डब्ल्यूटीओ में मामला सुलझने में एक साल का वक्त लगता है। अगर कोई देश पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करता है तो मामला सुलझने में तीन माह का और वक्त लग जाता है। पैनल अगर उस देश के खिलाफ रिपोर्ट देता है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, तो ऐसी स्थिति में उक्त देश को टैरिफ की दर घटानी होगी और मुआवजा देना पड़ेगा। अगर मुआवजे की राशि पर सहमति नहीं बनती है तो शिकायत करने वाला देश भी अपने यहाँ जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ बढ़ा सकता है।

(दैनिक जागरण, 1.10.2018)

क्या होता है रेमिटेंस ?

जागरण पाठशाला : सरकार ने चालू खाते के घाटे को नियंत्रित रखने के लिए हाल में कई कदम उठाए हैं। गैरजरूरी आयात को कम करने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढाया गया है। वहीं कुछ अन्य चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इन सब उपायों के साथ-साथ एक वर्ग ऐसा भी है जो देश के बाहर रहकर इस समस्या के समाधान में मदद कर रहा है। यह वर्ग है विदेशों में बसे करीब दो करोड़ प्रवासी भारतीयों का, जो हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में स्वदेश भेज रहे हैं। रेमिटेंस क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है? जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में डॉक्टर और इंजीनियर की नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने माता-पिता या परिवार को धनराशि भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। जो देश रेमिटेंस प्राप्त करता है उसके लिए यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का जरिया होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में रेमिटेंस ने अहम भूमिका निभाई है। कई देश ऐसे हैं जिनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रेमिटेंस से प्राप्त राशि का योगदान अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी अधिक है। मसलन नेपाल, हैती, ताजिकिस्तान और टोंगा जैसे देश अपने जीडीपी के एक चौथाई के बराबर राशि रेमिटेंस के रूप में प्राप्त करते हैं।

वैसे राशि के हिसाब से देखें तो दुनियाभर में सर्वाधिक रेमिटेंस भारत प्राप्त करता है। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों ने 69 अरब डॉलर रेमिटेंस के रूप में स्वदेश भेजे। यह राशि भारत के जीडीपी की 2.7 प्रतिशत है और पिछले साल देश में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) से काफी अधिक है। रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत ने पड़ोसी देश चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। एक समय था जब सबसे ज्यादा रेमिटेंस चीन में ही आता था। 2017 में चीन को रेमिटेंस से 64 अरब डॉलर, फिलीपींस को 33 अरब डॉलर, मैक्सिको को 31 अरब डॉलर, नाइजीरिया को 22 अरब डॉलर और मिस्त्र को 20 अरब डॉलर प्राप्त हुए। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 613 अरब डॉलर राशि का रेमिटेंस के रूप में आदान-प्रदान हुआ। इस तरह पता चलता है कि रेमिटेंस के रूप में कितनी बड़ी राशि का आदान-प्रदान वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य होता है। हालांकि प्रवासियों को अपने मूल देश में रेमिटेंस भेजने में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे बड़ी कठिनाई रेमिटेंस भेजने की लागत है। विश्व बैंक के अनुसार लगभग 200 डॉलर भेजने पर 7.1 प्रतिशत लागत आती है, जो सतत विकास लक्ष्यों में तय किए गए तीन प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रमिटेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिलहाल भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर है। चालू खाते का घाटा देश के भीतर आने वाली विदेशी मुद्रा और देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के अंतर को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अनिवासी भारतीय रेमिटेंस के रूप में विदेशी मुद्रा नहीं भेजते तो यह पाँच प्रतिशत के आसपास होता और भारत भी तुर्की व अर्जेंटीना जैसे देशों की कतार में खड़ा होता।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.10.2018)

क्या होता है व्यापार घाटा

जागरण पाठशाला : भारत का ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) इस साल जुलाई में पाँच साल के उच्चतम स्तर (19 अरब डॉलर) पर पहुँच गया है। यह सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है और माना जा रहा है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए यह पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक होगा। व्यापार घाटे का सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति खासकर चालू खाता घाटा, रोजगार सृजन, विकास दर और मुद्रा के मूल्य पर पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट क्या है? इसे कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह देश अपने यहाँ ग्राहकों को जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे दूसरे देशों से इनका आयात करना पड़ रहा है। इसके उलट जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने लगभग 238 देशों और शासनाधिकृत क्षेत्रों के साथ कुल 769 अरब डॉलर का व्यापार (303 अरब डॉलर निर्यात और 465 अरब डॉलर आयात) किया। इस तरह इस अवधि में भारत का व्यापार घाटा 162 अरब डॉलर रहा। इनमें से 130 देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस था जबकि करीब 88 देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) रहा। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा पड़ोसी देश चीन के साथ 63 अरब डॉलर है। इसका मतलब यह है कि चीन के साथ व्यापार भारत के हित में कम तथा इस पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अधिक फायदेमंद है। चीन की तरह स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, नाइजीरिया, कतर, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ भी भारत का व्यापार घाटा अधिक है। अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस सर्वाधिक (21 अरब डॉलर) है। इसका अर्थ है कि हमारा देश अमेरिका से आयात कम और वहाँ के लिए निर्यात ज्यादा करता है। इस तरह अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन का झुकाव भारत की ओर है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका से व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है।

बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, हांगकांग, नीदरलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी भारत का ट्रेड सरप्लस है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि अगर किसी देश का व्यापार घाटा लगातार कई साल तक कायम रहता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति खासकर रोजगार सृजन, विकास दर और मुद्रा के मूल्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। चालू खाते के घाटे पर भी व्यापार घाटे का नकारात्मक असर पड़ता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.10.2018)

नगर निगम की गाड़ियों को ही देना पड़ेगा घर का कचरा, अन्यथा कार्रवाई

घर का कचरा पटना नगर निगम के कचरा उठाव गाड़ियों को ही देना होगा। पहली नवम्बर से घर का कचरा बाहर फेंकने पर दोषी व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक संगठन या दुकान को जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.10.2018)**

वसूला 42 करोड़ होल्डिंग टैक्स

नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए वर्ष 2017 में निजी एजेंसी को जिम्मेवारी दी थी। राँची का एजेंसी स्पैरो ने 2017 के दिसम्बर से मार्च तक वसूली की। इसके बाद भी वसूली जारी है निगम के आंकड़ों के अनुसार सितम्बर तक एजेंसी ने एक लाख 33 हजार सात सौ 32 घरों से 42 करोड़ रुपये वसूले है। इसमें 1464 नए घर जुड़े हैं।

होल्डिंग टैक्स को लेकर हो रहे हैं परेशान तो करें शिकायत : नगर निगम की और से तेनात एजेंसी के कर्मचारी यदि आप से भी होल्डिंग टैक्स को लेकर नाजायज राशि की मांग या किसी तरह से परेशान कर रहे हैं तो आप हमें **9097144418** पर व्हाट्सएप कर पूरी जानकारी दे सकते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.10.2018)

ई-केवाईसी का नया प्रस्ताव

टेलीकॉम कंपनियों ने आधार आधारित सत्यापन की वैकल्पिक नई ई-केवाईसी प्रक्रिया की अनुमति के लिए दूरसंचार विभाग से अनुमति ली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की जानकारी लेने से टेलीकॉम ऑपरेटरों और बैंकों समेत प्राइवेट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। टेलीकॉम सेक्टर के शीष संगठन एडवायजरी कार्उंसिल फॉर टेलीकॉम इन इंडिया (एसीटी) ने दूरसंचार विभाग को भेजे एक पत्र में कहा है कि हम विभाग की गाइडलाइन में मामूली बदलाव का प्रस्ताव करना चाहते हैं। इसके तहत उपभोक्ता आवेदन फॉर्म में फोटो लगाकर स्कैनिंग की जाए और डिजिटल फार्म की प्रोसेसिंग की जाए। इसके आधार पर नए उपभोक्ताओं को पेपरलेस प्रोसेस के जरिये मोबाइल कनेक्शन दिया जाए।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.10.2018)

पार्सल के लिए अलग निदेशालय बनेगा

सरकार ने पार्सल के कारोबार में भारतीय डाक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए डाक विभाग के तहत एक अलग पार्सल निदेशालय बनाने का फैसला किया है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने विश्व डाक दिवस पर यहाँ आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा हम (डाक) विभाग में एक नया पार्सल निदेशालय बनायेंगे जिसका फोकस पूरी तरह पार्सल कारोबार पर होगा। उसका उद्देश्य अगले दो साल में इस कारोबार में विभाग की हिस्सेदारी मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है। इस साल का विश्व डाक दिवस इसलिए खास है कि भारतीय डाक ने डिजिटल बैकिंग तथा सरकारी सेवाओं को घर-घर पहुँचाने की दिशा में अपनी अद्वितीय पहुँच और लोगों में इसके प्रति भरोसे का इस्तेमाल किया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.10.2018)

दुनिया के 123 देशों में RTI कानून है

भारत छठे स्थान पर

बेहतर		बदतर	
अफगानिस्तान	139	ऑस्ट्रिया	33
मेक्सिको	136	पलाऊ	33
सर्बिया	135	लिडटेंस्टीन	39
श्रीलंका	131	फिलीपींस	46
स्लोवेनिया	129	तजाकिस्तान	49
भारत	128	पूर्वी तिमोर	51

• भारत में इस कानून को सूचना का अधिकार नाम से जानते है, वहीं दुनिया के कई देशों में इसे 'राइट टू नो' के रूप में जाना जाता है • वैश्विक सूची तैयार करने में 150 प्वाइंट स्केल का इस्तेमाल किया गया है

स्रोत : एक्सेस इन्फो यूरोप और सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 15.10.2018)

सभी पार्कों का जिम्मा अब वन विभाग को

• शहर के 70 पार्कों की देखरेख फिलहाल कर रहा वन विभाग • 44 पार्क पहले से ही थे पार्क डिवीजन के जिम्मे • नए पौधे लगाने, पाथवे, पेयजल और अन्य सुविधाओं पर जोर

सरकार ने गाँव से लेकर शहर तक पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पर्यावरण एवं वन विभाग सौंप दी है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शासन के आला अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए सभी पार्कों के सार संभाल पर्यावरण एवं वन विभाग को करना होगा।

ये पार्क हाल ही में किए गए हैं शामिल : बड़ी पटनदेवी पार्क, स्लम पार्क, वार्ड संख्या 34, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर-6 के ब्लॉक 4, बैंक मेंस कॉलोनी पार्क-1 और 2, बी, हाउसिंग कॉलोनी पार्क, पंजाब कॉलोनी पार्क, नवशक्ति निकेतन पार्क, नेहरू चिल्ड्रेन पार्क, कांग्रेस मैदान पार्क, जे सेक्टर पार्क (वार्ड 33), एमआईजी पार्क, शालीमार कंकड़बाग, सी सेक्टर कंकड़बाग ए/44, मैकडोवल गोलंबर से रामअवतार शास्त्री गोलबर, एफ सेक्टर पार्क 15 कंकड़बाग जगत विहार कॉलोनी आशियाना नगर पार्क, ज्योतिपुरम कॉलोनी मौर्य विहार पथ, ब्रह्मस्थानी पार्क, शास्त्रीनगर सीआइडी कॉलोनी पार्क, शिवपुरी पार्क, पुलिस कॉलोनी पार्क डी-16, पुलिस कॉलोनी सेक्टर ए पार्क। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.10.2018)**

केन्द्र में अटका है रामायण सर्किट का 'विकास'

बिहार में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सात माह से केन्द्र सरकार के पास पड़ी हुई है। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना भी पर्यटन मंत्रालय में पड़ी हुई है। पूरे देश में भगवान राम से संबंधित स्थलों को रामायण सर्किट के तहत विकसित किया जाता है। 'स्वदेश दर्शन योजना' में बिहार में स्थित स्थलों की डीपीआर मांगी गयी। पर्यटन विभाग ने फरवरी में डीपीआर बनाकर भेजा। पर्यटन मंत्रालय ने उसमें कुछ संशोधन कर दोबारा इसे भेजने को कहा। इसके बाद अप्रैल में 103 करोड़ की संशोधित डीपीआर भेजी गयी, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी तरह बुद्ध सर्किट के लिए अप्रैल में ही संशोधित डीपीआर भेजी गयी थी। बुद्ध सर्किट के लिए 179 करोड़ की मांग की गई है। गौरतलब है कि दोनों सर्किट से जुड़े स्थलों के विकास की कवायद पिछले वर्ष के जनवरी से ही चल रही है, लेकिन अब तक कोई फलाफल नहीं निकला है।

इन स्थलों का होना है विकास

सीतामढ़ी : पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़ धाम
दरभंगा/ मधुबनी : अहिल्या स्थान, गौतम कुंड, फुलहर
बक्सर : चरित्र वन, अहिरवली, रामरेखा घाट, बड़का नुआव

बुद्ध सर्किट में इनका होना है विकास

बोधगया : मुचलिंद सरोवर, गुनेरी, कुर्कीहार, गुरपा, माया सरोवर
राजगीर : बोधगया व राजगीर, गृद्धकुट पर्वत, वेणुवन, साइक्लो-पियन वॉल
वैशाली : अभिषेक पुष्कर्णी
मुजफ्फरपुर : कोल्हुआ, अलार कलाम

रामायण सर्किट से देशभर में ये स्थल जुड़ने हैं

उत्तर प्रदेश : अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट
बिहार : सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी
बंगाल : नंदीग्राम
छत्तीसगढ़ : जगदलपुर
तमिलनाडु : रामेश्वरम
महाराष्ट्र : नासिक और नागपुर
मध्य प्रदेश : चित्रकूट
ओडिशा : महेंद्रगिरि
तेलंगना : भद्रावत
कर्नाटक : हंपी

"बड़ी योजनाओं में समय लगता है। हमने पर्यटन मंत्रालय को रिमाइंडर भेजा है। उम्मीद है, जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी।"

– रवि परमार, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.10.2018)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296